न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

**पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील**

**संख्या–** आरटीए / 05 / 2017

उनवान

1. सुश्री शंकरी पुत्री भैरू लाल धाकड निवासी गोरधनविलास, हाल मुकाम सलावटिया, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. सुश्री सीता पुत्री भैरू लाल धाकड निवासी गोरधनविलास, हाल मुकाम सलावटिया, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. श्रीमती मोडी बाई पत्नि भैरू लाल धाकड निवासी गोरधनविलास, हाल मुकाम इन्द्रपुरा, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र भैरू दादा देवा धाकड निवासी गोरनधनविलास, हाल मुकाम सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. मुकेश पुत्र प्रभू लाल धाकड निवासी गोरनधनविलास, हाल मुकाम सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. मांगी बेवा पत्नि प्रभू लाल धाकड निवासी गोरनधनविलास, हाल मुकाम सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. प्रहलाद पुत्र प्रभू लाल धाकड निवासी गोरनधनविलास, हाल मुकाम सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
5. श्रीमती पुष्पा पुत्री प्रभू लाल धाकड पत्नि राधेश्याम धाकड निवासी गोरधनविलास, हाल माजी साहब का खेडा, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. श्रीमती चन्दा पुत्री प्रभू लाल धाकड पत्नि गोपाल लाल धाकड निवासी गोरधनविलास, हाल निवासी गोपाल निवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
7. श्रीमती विमला पुत्री प्रभू लाल धाकड पत्नि बबलु धाकड निवासी गोरधनविलास, हाल मुकाम जाबदा तहसील बिजौलिया
8. श्रीमती दुर्गा पुत्री प्रभू लाल धाकड पत्नि चन्द्र प्रकाश धाकड निवासी गोरधनविलास, हाल मुकाम अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया
9. श्रीमती धापू बाई विधवा नाना लाल धाकड निवासी गोरधनविलास, तहसील बिजौलिया
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलिया
11. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा, सलावटिया मार्फत प्रबन्धक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा, सलावटिया तहसील बिजौलिया
12. प्रभू लाल पुत्र भैरूलाल धाकड निवासी गोरधनविलास हाल मुकाम इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया
13. शम्भू लाल पुत्र भैरू लाल धाकड निवासी गोरधनविलास, हाल मुकाम इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया
14. गेपाल पुत्र भैरू लाल धाकड निवासी गोरधनविलास, हाल मुकाम इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 07/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.5.2016

अभिभाषक : 1. श्री आर सी सारस्वत , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री जय कुमार जैन प्रत्यर्थी संख्या 12,13,14
3. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

# आदेश

दिनांक 29.05.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 12 से 14 एवं अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण स्व0 भैरू पुत्र भवाना जी धाकड निवासी गोरधनविलास के वारिसान है। स्व0 भैरू पिता भवाना की मृत्यु दिनांक 7.12.2015 को हो गई। स्व0 भैरू पुत्र भवाना धाकड निवासी गोरधन विलास की खातेदारी व कब्जे की जमीन खसरा नम्बर 15 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा मौजा गोरधनविलास पटवार हल्का चांदजी की खेडी तहसील बिजौलिया में स्थित है। स्व0 भैरू पिता भवाना जी धाकड की मृत्यु के पश्चात वादीगण भैरू पुत्र भवाना जी धाकड के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। वर्तमान में वादीगण का खसरा नम्बर 15 पर कब्जा जरिये काश्त है। वादग्रस्त जायदाद में वादीगण के अतिरिक्त किसी के कोई अधिकार अथवा हित निहत नहीं है। इसलिए वादीगण आराजी नम्बर 15 की खातेदारी पाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी नम्बर 10 द्वारा भैरू पुत्र भवाना धाकड की खातेदारी भूमि को जरिये नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 8.12.2004 से नानालाल, प्रभु लाल, व कन्हैया लाल धाकड के नाम पर भैरू पुत्र भवाना जी धाकड को मृत बताकर खोल दिया जिन व्यक्तियों नानालाल, प्रभु लाल व कन्हैया लाल धाकड के नाम नामनन्तरकरण खोला गया वे स्व0 भैरू पुत्र भवाना धाकड की संतान नही होकर भैरू पुत्र देवा धाकड निवासी गोरधननिवास के पुत्र हैं। सन् 2004 में भैरू पुत्र भवाना धाकड निवासी इन्द्रपुरा जीवित थे । इनकी मृत्यु दिनांक 7.

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12.2015 को हुई । उनका पंचायत तिलस्वा द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 10 के अधीनस्थ कर्मचारियों ने व पंचायत चांद जी की खेडी के सरपंच ने सन् 2004 में ही भैरू पुत्र भवाना धाकड निवासी गोरधननिवास (मृत्यु के समय निवासी इन्द्रपुरा) को मृत बता दिया। प्रभू लाल पुत्र भैरू धाकड दादा देवा की मृत्यु हो चुकी है। उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 से 7 तक है व नाना लाल पुत्र भैरू धाकड दादादेवा की भी मृत्यु हो चुकी है। उसकी वारिस विपक्षीया नम्बर 9 है। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम पर दर्ज भूमि का बंटवाडा करवा लिया जाने के कारण वर्तमान चालु जमाबंदी अनुसार जिन खातेदारों के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज उसका विवरण इस प्रकाकर है।

**अ–** आराजी खसरा नम्बर 15/3 रकबा 11 बिस्वा भूमि प्रतिवादी कन्हैयालाल पुत्र भैरू धाकड के नाम दर्ज अभिलेख है जो विपक्षी नम्बर 1 है।

**ब–** आराजी खसरा नम्बर 15/1 रकबा 10 बिस्वा प्रतिवादी धापू देवी पत्नि नानालाल के नाम दर्ज अभिलेख है जो विपक्षी संख्या 9 है।

**स–** आराजी खसरा नम्बर 15/2 रकबा 10 बिस्वा खातेदार प्रभू लाल पुत्र भैरू धाकड जिसकी मृत्यु हो गई उसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 2 से 9 है।

खसरा नम्बर 15/1 बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सलावटिया के यहॉ रहन रखी हुई है।

2. प्रतिवादी संख्या 1 से 9 तक न तो वादग्रस्त जायदाद के वास्तविक खातेदार है और न ही उनका मौके पर कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 राजस्व अभिलेखों में हुई फर्जी खातेदारी से बेजा लाभ लेने के लिए भूमि का अन्तरण करने पर उतारू है प्रतिवादीगण एवं स्व0 भैरू पुत्र भवाना धाकड

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को कभी यह आशंका नहीं हुई कि जीवित खातेदार को मृत बताकर राजस्व रेकार्ड में हेराफेरी की जा सकती है। चूंकि कब्जा पहले भैरू पुत्र भवाना धाकड का था एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण का है। भैरू पुत्र भवाना जी धाकड की मृत्यु के बाद वादीगण मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर पटवारी हल्का को वारिसान हक से भैरू पुत्र भवाना धाकड कें बजाय अपने नाम पर भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने गये तो पहली बार वादीगण को जमाबंदी में हुई हेराफेरी की जानकारी दिनांक 10.1.2016 को हुई। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करा वादग्रस्त आराजियात को वापस वादीगण के नाम पर कराने की कहने पर प्रतिवादीगण ने खाता दुरूस्त कराने से इंकार कर दिया। अतः अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को अन्तरण नहीं करें एवं राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करावें एवं वादीगण का कब्जा नहीं हटावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं दौराने विचारण 24.5.2016 को प्रकरण को केम्प चांद जी की खेडी में उभयपक्ष द्वारा सहमति से राजीनामा प्रस्तुत करने पर वाद की कार्यवाही ड्रोप की गई। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं प्रत्यर्थीगण के बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 23.2.2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई तथा अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को सूचना दिये बिना ही प्रकरण को न्याय आपके द्वारा कैम्प चांद जी की खेडी में रखा गया । इस कारण अपीलार्थीगण को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल पाया । अपीलार्थीगण को इस कारण अपीलाधीन निर्णय की यथासमय जानकारी नहीं हो पाई। अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण का निरस्तारण कर दिया गया । तब अपीलार्थीगण ने अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपीलाधीन निर्णय की तिथि से जानकारी हाने की अवधि को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 12 से 14 /वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । उसके उपरान्त पत्रावली दिनांक 29.3.2016 एवं 19.4.2016 को नियत की गई। इसके पश्चात अपीलार्थीगण को सूचित किये बिना ही पत्रावली न्याय आपके द्वार राजस्व अभियान में रखी जाकर दिनांक 24.5.2016 को रेस्पोडेण्ट संख्या 12 लगायत 14 के गलत आवेदन पर वाद पत्र की कार्यवाही को ड्रोप कर वाद पत्र को फैसल शुमार कर दिया गया । चूंकि अपीलार्थीगण ने कोई आवेदन पत्र प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रस्तुत नवहीं किया था। अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया । अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को बिना सुनु और आवेदन पत्र के अभाव में वाद पत्र खारिज कर दिया । इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 12 लगायत 14 द्वारा आनन–फानन में व जल्दबाजी में राजीनामा किये जाने का आधार लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 11 ने एक आवेदन तैयार करा हस्ताक्षर कराते हुए कैम्प चांद जी की खेडी में पेश करवा कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । जबकि राजीनामा प्रत्यर्थी संख्या 12 से 14 का था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 12 से 14 की मंशा को समझे बिना ही वाद पत्र खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया ।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे इस कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 12 से 14 का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण उपस्थित नहीं हुए । लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया । अपीलार्थीगण ने अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 12 से 14/वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 प्रस्तुत किया था। जो दिनांक 2.3.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.3.2016 नियत की गई। दिनांक 29.3.2016 को प्रतिवादीगण उपस्थित हुए लेकिन उस दिनांक को पीठासीन अधिकाकरी दौरे पर होने से पत्रावली दिनांक 19.4.2016 को नियत की गई। उसके उपरान्त दिनांक 19.4.2016 को कोई आदेशिका पत्रावली पर नहीं लिखी गई। उसके उपरान्त पत्रावली दिनांक 24.5.2016 को कैम्प चांद जी की खेडी पर रखी गई। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लोक अदालत/केम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत सूचना पत्र संलग्न है। जो वादीगण को जारी किया गया था। उक्त सूचना पत्र की पुश्त पर अंगूठा निशानी प्रभू लाल एवं अपीलण्ट संख्या 3 मोडी की कराई गई है। प्रत्यर्थी संख्या 12 से 14 की तामिली है । शेष अपीलाण्ट 1,2 की तामीली शंभू(प्रत्यर्थी संख्या 13) द्वारा ली गई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा मात्र प्रत्यर्थी संख्या 12 से 14/वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलार्थीगण द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. लोक अदालत/न्याय आपके द्वार में प्रकरण को पक्षकारान को सूचित करने के उपरान्त इस कारण रखा जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा, सद्भाव व मेलजोल से प्रकरण का निस्तारण हो सके। परन्तु अपीलाधीन मामले में तो अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा ही प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं न ही उनको सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया था। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना के तहत अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर जवाब दावा आने पर तनकियात कायम कर तनकीवाईज गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण ने कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया ऐसी स्थिति में उनके हक हिस्से तक प्रकरण में विचारण कर निर्णय पारित करना चाहिये था। चूंकि मूल वाद में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत के आधार पर उनके हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण को न तो सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है एवं न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा ही प्रस्तुत किया गया उसके उपरान्त भी उनके हक हितों का भी अपीलाधीन निर्णय द्वारा राजीनामे से कार्यवाही ड्रोप कर निस्तार कर दिया गया । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण/वादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अज सिरे नो निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.5.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हैं कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर उपलब्ध साक्ष्य, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.7.18 को उपस्थित रहें।

14. निर्णय आज दिनांक 29.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/5/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा